हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पत्रांक : हे॰न॰ब॰ग॰वि॰वि॰ / आर॰ओ॰ / 2020 / 262 दिनांक : 28/12 /2020

कार्यालय आदेश (262/2020)

विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय परिक्षेत्र अथवा कार्यालय में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटका इत्यादि) का सेवन करते हुये देखे जा रहे हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है तथा विश्वविद्यालय के कार्यालय / परिसरों में गंदगी भी हो रही है, जो कि अत्यधिक चिन्तनीय है। इसी परप्रेक्षय में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या F.No. 16012/06/2017-TC दिनांक 08.11.2017 के द्वारा भी इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं एवं अनुपालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में **रू0 200/– (रू0 दो सौ मात्र)** के दण्ड का भी प्राविधान किया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन भी विश्वविद्यालय द्वारा भी इस आदेश के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

अतः अधिकारियों / कर्मचारियों से निवेदन है कि विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान का सेवन न करें व अपेक्षा है कि वे इस बुराई का पूणतः परित्याग करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपर्युक्त दण्ड को लागू किया जायेगा। उक्त की जानकारी कुलसचिव कार्यालक्ष कक्ष में लगे सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरे से प्राप्त की जायेगी।

डॉ॰ अजय कुमार खण्डूड़ी
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
2. परिसर निदेशक (टिहरी / पौड़ी / चौरास)।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण / नियंता / मुख्य छात्रावास अधीक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष।
4. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
5. संयुक्त कुलसचिव / समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव।
6. कोडिनेटर ई–गवर्नेस सेल / प्रभारी, डी॰पी॰यू॰ / जन सम्पर्क अधिकारी।
7. सिस्टम मैनेजर को उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, कुलपति, मा॰ कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
9. जन सम्पर्क अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी।
10. कार्यालय प्रति।

डॉ॰ अजय कुमार खण्डूड़ी
कुलसचिव